भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2869

18 मार्च, 2025 को उत्तर के लिए

कम कीमत वाला इस्पात

2869. श्री इमरान मसूद:

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) घरेलू इस्पात उद्योग पर कम कीमत वाले इस्पात के आयात के प्रभाव को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) सरकार लौह अयस्क की कमी के मुद्दे का किस प्रकार समाधान कर रही है तथा लौह अयस्क के नए स्रोतों की सुरक्षा के लिए किस प्रकार योजना बना रही है तथा सरकार इस्पात के पुनर्चक्रण को बढ़ावा देने के लिए अपनी नीतियों का किस प्रकार समर्थन कर रही है;

(ग) वर्ष 2014 में विभिन्न देशों से आयातित इस्पात की मात्रा वर्षवार कितनी है; और

(घ) विशेष रूप से चीन से इस्पात आयात पर निर्भरता कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)**

(क) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और इस्पात की कीमतें बाजार शक्तियों की मांग-आपूर्ति संबंधी गतिशीलताओं, वैश्विक बाजार परिस्थितियों, कच्चे माल की कीमत संबंधी रूझानों, लॉजिस्टिक लागत, विद्युत और ईंधन लागत आदि द्वारा निर्धारित की जाती हैं। सरकार देश में लघु और मध्यम उत्पादकों सहित इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल नीतिगत वातावरण तैयार कर एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार ने इस्पात के आयात में कमी लाने और आयातों पर निर्भरता कम करने के लिए घरेलू इस्पात विनिर्माताओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

i. देश के भीतर 'विशेष इस्पात' के विनिर्माण को बढ़ावा देने और पूंजीगत निवेश को आकर्षित करके आयात को कम करने के लिए विशेष इस्पात हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को शुरू किया। विशेष इस्पात' के लिए पीएलआई योजना के अंतर्गत अनुमानित अतिरिक्त निवेश 27,106 करोड़ रुपये है, जिसमें विशेष इस्पात' के लिए लगभग 25 मिलियन टन (एमटी) की डाउनस्ट्रीम क्षमता निर्माण शामिल है।

जारी...2/-

ii. उद्योग, प्रयोक्ताओं और आम जनता को गुणवत्तायुक्त इस्पात की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों को लागू करके घरेलू बाजार में घटिया/दोषपूर्ण इस्पात उत्पादों के साथ-साथ आयातों पर प्रतिबंध लगाना।

iii. घरेलू इस्पात उद्योग से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आयातों की अधिक प्रभावी निगरानी हेतु इस्पात आयात निगरानी प्रणाली (एसआईएमएस) को नया रूप दिया गया है और दिनांक 25.07.2024 को एसआईएमएस 2.0 शुरू किया गया था।

iv. सरकारी अधिप्राप्ति के लिए 'मेड इन इंडिया' इस्पात को बढ़ावा देने के लिए घरेलू स्तर पर विनिर्मित लौह और इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति का कार्यान्वयन।

v. वर्तमान में कुछ इस्पात उत्पादों जैसे सीमलेस ट्यूब, पाइप और लौह के खोखले प्रोफाइल, मिश्रधातु, या गैर-मिश्रधातु इस्पात (कच्चा लोहा और स्टेनलेस स्टील के अलावा) (चीन पीआर से), इलेक्ट्रो-गैल्वेनाइज्ड इस्पात (कोरिया आरपी, जापान, सिंगापुर से), स्टेनलेस स्टील सीमलेस ट्यूब और पाइप (चीन पीआर से), वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब (वियतनाम और थाईलैंड से) से संबंधित पाटनरोधी शुल्क (एडीडी) उपाय किए गए हैं।

vi. चीन और वियतनाम से वेल्डेड स्टेनलेस स्टील पाइपों और ट्यूबों के लिए प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) लागू है।

घरेलू इस्पात उद्योग की वर्तमान मांग/खपत को पूरा करने के लिए देश में लौह अयस्क का पर्याप्त भंडार है। आईबीएम द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में लौह अयस्क का उत्पादन 270 मिलियन टन से अधिक था और निर्यात लगभग 46 मिलियन टन था जबकि आयात 4.9 मिलियन टन था।

सरकार ने खनिजों की आपूर्ति बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, उत्पादन बढ़ाने के लिए खनन और खनिज नीति सुधार, समय सीमा समाप्त पट्टों वाली खानों की शीघ्र नीलामी और प्रचालन, व्यापार करने में आसानी, सभी वैध अधिकारों और अनुमोदनों का निर्बाध हस्तांतरण, खनन प्रचालन और प्रेषण शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देना, खनन पट्टों का हस्तांतरण, कैप्टिव खानों को उत्पादित खनिजों के 50% तक बेचने की अनुमति देना, गवेषण संबंधी कार्यकलापों आदि में वृद्धि करना शामिल हैं।

सरकार ने नवंबर, 2019 में इस्पात स्क्रैप पुनर्चक्रण नीति को अधिसूचित किया है। यह नीति विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न लौह स्क्रैप के वैज्ञानिक प्रसंस्करण और पुनर्चक्रण के लिए भारत में धातु स्क्रैपिंग केंद्रों की स्थापना को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है।

वर्ष 2014 से चीन सहित तैयार इस्पात के आयात का देश-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

*****

अनुलग्नक

वर्ष 2014-15 से वर्ष 2023-24 तक तैयार इस्पात का देश-वार आयात-मात्रा ('000 टन में)

क्र.सं.	देश का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	चीन	3,576	4,087	2,153	1,901	1,539	1,207	843	833	1,407	2,687
2	कोरिया	1,869	3,005	2,103	2,473	2,931	2,687	1,947	2,009	2,228	2,670
3	जापान	1,583	2,158	1,136	1,176	1,271	1,018	560	664	841	1,274
4	वियतनाम	25	8	16	203	167	86	133	75	320	737
5	ताइवान	190	202	247	271	262	165	186	194	163	185
6	नेपाल	96	54	10	9	3	6	6	9	59	120
7	इंडोनेशिया	14	243	46	107	228	464	79	241	148	94
8	जर्मनी	149	197	153	145	166	135	146	151	112	80
9	थाईलैंड	16	42	40	44	85	52	50	25	53	58
10	रूस	226	364	291	150	126	71	63	55	313	53
11	यूएई	34	36	30	24	21	21	21	24	12	52
12	ऑस्ट्रिया	19	127	160	13	13	13	71	9	10	52
13	सऊदी अरब	4	1	1	6	22	8	36	14	9	39
14	इटली	55	28	33	110	58	81	33	34	31	23
15	यूएसए	120	82	75	127	74	65	54	29	17	20
16	स्वीडन	26	21	29	33	24	23	27	39	48	20
17	हांग-कांग	1	1	3	1	1	0	0	0	1	18
18	बेल्जियम	126	96	76	99	118	74	56	28	33	17
19	रोमानिया	11	2	2	5	2	3	1	1	2	17
20	फ़्रांस	156	66	174	76	58	56	121	58	77	15
21	ओमान	0	46	1	9	7	4	12	5	7	11
22	कुवैत	2	0	0	2	5	8	3	3	3	9
23	दक्षिण अफ़्रीका	71	52	23	40	41	22	15	8	5	7
24	फ़िनलैंड	12	12	9	13	14	9	5	5	7	6
25	कनाडा	7	7	5	15	13	20	17	10	11	6
26	मलेशिया	96	53	29	32	50	51	42	8	20	6
27	स्पेन	30	28	25	30	25	32	20	27	21	5
28	यू.के.	30	31	16	43	20	17	11	6	5	4
29	चेक रिपब्लिक	2	2	6	3	3	2	0	1	2	4
30	सिंगापुर	81	106	108	72	117	139	43	8	6	4
31	अन्य	691	556	225	251	371	230	153	96	50	29
कुल		**9,320**	**11,712**	**7,224**	**7,483**	**7,835**	**6,768**	**4,752**	**4,669**	**6,022**	**8,320**

स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)